न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व प्रकरण संख्या : 02/2018 Gcms No. 2018/00005
दायरा तिथि : 10.01.2018
निर्णय दिनांकः 30-06-22

वादी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

प्रतिवादी :–
श्री हनुमानसिंह पुत्र केरसिंह जाति रावणा राजपूत
निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार..... पेरोकार सरकार
2. श्री नरपतसिंह चौहान अभिभाषक प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 30-06-22

प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर ग्राम ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का, बेडा प्रथम में अप्रार्थी द्वारा धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 206 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में खातेदार द्वारा 17.30X15.50=268.15 वर्गमीटर में पक्का निर्माण कार्य कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकानो के उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रर्थी का उक्त कृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा सरकार लिये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.03.2018 को अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुती के लिये समय चाहा गया। प्रकरण को कन्टेस्ट करने से आगे की कार्यवाही वाद के तौर पर की गई। वकील प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता को जवाबदावा प्रस्तुती के लिये तरकरीबन 4 वर्ष की अवधि तक कई मर्तबा समय/अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 21.12.2021 को प्रतिवादी पक्ष का जवाब दावा का अवसर बंद किया गया। इसके साथ ही वादी पैरोकार सरकार की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त और कोई नया मौखिक साक्ष्य पेश करना नहीं चाहने से वादी पक्ष की साक्ष्य बंद करते हुये पत्रावली को न्यायालय आदेशिका दिनांक 21.12.2021 से प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखी गई। प्रतिवादी पक्ष को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये भी पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजुद मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करने से सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार न्यायालय आदेशिका दिनांक 27.04.2022 से प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य का अवसर बंद करते हुये पत्रावली को बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन के पश्चात् वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन पर के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 206 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कृषि भूमि होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का, बेडा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द एवं मौके के फोटो चित्रो यह प्रमाणित हैं कि खसरा नंबर 206 के रकबा 17.30X15.50=268.15 वर्गमीटर पर दुकानो का निर्माण किया हुआ है। जो इस तथ्य की पुष्टि करता हैं कि खसरा नंबर 206 मेंसे रकबा 17.30X15.50=268.15 वर्गमीटर का मौके पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। इस सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो अनुसार= धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली (1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगाः–

(अ) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षैत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षैत्र पट्टे पर दिया हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं है।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से न तो कोई जवाबदावा पेश किया एवं न ही मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में उल्लेखित व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो का खण्डन किया गया। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी तहसीलदार, बाली का वाद अंतर्गत धारा 177 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का, बेडा प्रथम के खसरा नंबर 206 रकबा 0.32 हैक्टर मेंसे 17.30X15.50=268.15 वर्गमीटर को राजकीय सिवाय चक दर्ज कर प्रतिवादी को मौके से बेदखल कर कब्जा सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री पालना के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा प्रथम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली)
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30-06-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned with CamScanner